

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार तिवारी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- राज्य के 54 नगर पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शहरी स्थानीय निकायों को Tied Grant एवं Untied Grant की अनुशंसित द्वितीय किस्त की राशि ₹9044.04896 लाख (नब्बे करोड़ चौवालीस लाख चार हजार आठ सौ छियानवे रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान की राशि के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

14वें वित्त आयोग का कार्यकाल मार्च, 2020 में समाप्त होने के उपरांत 15वें वित्त आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया है, जो आगामी 05 वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कार्यरत रहेगा। आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को दो श्रेणियों यथा- Million Plus आबादी वाले शहर तथा Non-Million Plus आबादी वाले शहरों में विभक्त किया गया है। उक्त अनुशंसा के आलोक में Non-Million Plus आबादी वाले शहरों के लिए भारत सरकार के ULB Release No.- 74/2025-26, दिनांक-04.02.2026 द्वारा Tied Grant की राशि ₹44428.65 लाख (चार सौ चौवालीस करोड़ अठाईस लाख पैसठ हजार रु०) एवं ULB Release No.- 75/2025-26, दिनांक-04.02.2026 द्वारा Untied Grant की राशि ₹29619.10 लाख (दो सौ छियानवे करोड़ उन्नीस लाख दस हजार रु०) अर्थात् कुल राशि ₹74047.75 लाख (सात सौ चालीस करोड़ सैंतालीस लाख पचहत्तर हजार) मात्र विमुक्त की गई है। उक्त विमुक्त राशि में से राज्य के 54 नगर पंचायतों को ₹9044.04896 लाख (नब्बे करोड़ चौवालीस लाख चार हजार आठ सौ छियानवे रु०) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

2. तदनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में Non-Million Plus आबादी वाले शहरों के लिए भारत सरकार से प्राप्त द्वितीय किस्त की राशि में से राज्य के कार्यरत 54 नगर पंचायतों को निम्न तालिका के स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹9044.04896 लाख (नब्बे करोड़ चौवालीस लाख चार हजार आठ सौ छियानवे रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:-

Sl. No.	नगर निकाय का नाम	विषय शीर्ष जिससे राशि की निकासी की जानी है।		निकासी की जाने वाली कुल राशि रुपये में
		31.05	31.06	
1	2	3	4	5
1	नगर पंचायत, परसा बाजार	1,43,47,642.00	1,43,47,642.00	2,86,95,284.00
2	नगर पंचायत, रिविलगंज	1,22,19,963.00	1,22,19,963.00	2,44,39,926.00
3	नगर पंचायत, एकमा बाजार	1,12,05,437.00	1,12,05,437.00	2,24,10,874.00
4	नगर पंचायत, दिघवारा	1,05,15,596.00	1,05,15,596.00	2,10,31,192.00

5	नगर पंचायत, मढौरा	96,71,360.00	96,71,360.00	1,93,42,720.00
6	नगर पंचायत, नौबतपुर	95,01,912.00	95,01,912.00	1,90,03,824.00
7	नगर पंचायत, विक्रम	1,08,95,343.00	1,08,95,343.00	2,17,90,686.00
8	नगर पंचायत, खुशरूपुर	48,53,780.00	48,53,780.00	97,07,560.00
9	नगर पंचायत, पुनपुन	46,23,249.00	46,23,249.00	92,46,498.00
10	नगर पंचायत, पालीगंज	1,07,37,022.00	1,07,37,022.00	2,14,74,044.00
11	नगर पंचायत, सुगौली	1,27,52,122.00	1,27,52,122.00	2,55,04,244.00
12	नगर पंचायत, पकड़ीदयाल	1,00,38,217.00	1,00,38,217.00	2,00,76,434.00
13	नगर पंचायत, अरेराज	86,43,241.00	86,43,241.00	1,72,86,482.00
14	नगर पंचायत, मेहसी	97,82,231.00	97,82,231.00	1,95,64,462.00
15	नगर पंचायत, केसरिया	69,13,447.00	69,13,447.00	1,38,26,894.00
16	नगर पंचायत, जानकीनगर	92,27,033.00	92,27,033.00	1,84,54,066.00
17	नगर पंचायत, बहादुरगंज	1,40,59,720.00	1,40,59,720.00	2,81,19,440.00
18	नगर पंचायत, ठाकुरगंज	61,47,739.00	61,47,739.00	1,22,95,478.00
19	नगर पंचायत, पौआखाली	68,84,204.00	68,84,204.00	1,37,68,408.00
20	नगर पंचायत, कटैया	62,25,260.00	62,25,260.00	1,24,50,520.00
21	नगर पंचायत, सिलाव	81,06,226.00	81,06,226.00	1,62,12,452.00
22	नगर पंचायत, गिरियक	63,15,465.00	63,15,465.00	1,26,30,930.00
23	नगर पंचायत, रफीगंज	1,05,23,070.00	1,05,23,070.00	2,10,46,140.00
24	नगर पंचायत, नवीनगर	72,28,643.00	72,28,643.00	1,44,57,286.00
25	नगर पंचायत, कहलगाँव	1,01,28,560.00	1,01,28,560.00	2,02,57,120.00
26	नगर पंचायत, सबौर	39,09,811.00	39,09,811.00	78,19,622.00
27	नगर पंचायत, रानीगंज	1,05,19,766.00	1,05,19,766.00	2,10,39,532.00
28	नगर पंचायत, जोकीहाट	50,85,384.00	50,85,384.00	1,01,70,768.00
29	नगर पंचायत, जगदीशपुर	1,14,99,659.00	1,14,99,659.00	2,29,99,318.00
30	नगर पंचायत, बिहियां	79,62,111.00	79,62,111.00	1,59,24,222.00
31	नगर पंचायत, शाहपुर	61,00,186.00	61,00,186.00	1,22,00,372.00
32	नगर पंचायत, कोईलवर	64,13,936.00	64,13,936.00	1,28,27,872.00
33	नगर पंचायत, मखदुमपुर	1,07,31,504.00	1,07,31,504.00	2,14,63,008.00
34	नगर पंचायत, मोहनियां	99,95,926.00	99,95,926.00	1,99,91,852.00
35	नगर पंचायत, जयनगर	65,57,327.00	65,57,327.00	1,31,14,654.00
36	नगर पंचायत, घोघरडीहा	60,81,320.00	60,81,320.00	1,21,62,640.00
37	नगर पंचायत, फुलपरास	80,89,169.00	80,89,169.00	1,61,78,338.00
38	नगर पंचायत, सोनवर्षा	80,27,335.00	80,27,335.00	1,60,54,670.00
39	नगर पंचायत, सुरसंड	94,72,444.00	94,72,444.00	1,89,44,888.00
40	नगर पंचायत, बेलसंड	64,30,994.00	64,30,994.00	1,28,61,988.00
41	नगर पंचायत, महाराजगंज	75,86,433.00	75,86,433.00	1,51,72,866.00
42	नगर पंचायत, मैरवा	72,61,573.00	72,61,573.00	1,45,23,146.00

Handwritten signature

43	नगर पंचायत, मुरलीगंज	94,23,464.00	94,23,464.00	1,88,46,928.00
44	नगर पंचायत, चनपटिया	85,11,037.00	85,11,037.00	1,70,22,074.00
45	नगर पंचायत, बारसोई	90,07,887.00	90,07,887.00	1,80,15,774.00
46	नगर पंचायत, मनिहारी	85,81,636.00	85,81,636.00	1,71,63,272.00
47	नगर पंचायत, बरारी	47,41,902.00	47,41,902.00	94,83,804.00
48	नगर पंचायत, निर्मली	60,15,486.00	60,15,486.00	1,20,30,972.00
49	नगर पंचायत, बीरपुर	63,82,428.00	63,82,428.00	1,27,64,856.00
50	नगर पंचायत, कोचस	78,55,819.00	78,55,819.00	1,57,11,638.00
51	नगर पंचायत, नासरीगंज	75,77,778.00	75,77,778.00	1,51,55,556.00
52	नगर पंचायत, कोआथ	58,65,792.00	58,65,792.00	1,17,31,584.00
53	नगर पंचायत, अमरपुर	82,21,212.00	82,21,212.00	1,64,42,424.00
54	नगर पंचायत, रजौली	67,46,647.00	67,46,647.00	1,34,93,294.00
	कुल-	45,22,02,448.00	45,22,02,448.00	90,44,04,896.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹9044.04896 लाख (नब्बे करोड़ चौवालीस लाख चार हजार आठ सौ छियानवे रु०) मात्र।

3. उक्त स्वीकृत राशि ₹9044.04896 लाख (नब्बे करोड़ चौवालीस लाख चार हजार आठ सौ छियानवे रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से CFMS के माध्यम से की जायेगी तथा 15वें वित्त आयोग की राशि के लिए PFMS से संबद्ध बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना के Axis Bank, Ramsharan Sonjharo Block, Aparna Complex, Patna, Digha Road, Patna-800011 के खाता नाम-Central Finance Commissions grants, Buda, खाता संख्या- 926010005634952, IFSC Code - UTIB0002765 में अंतरित किया जायेगा। तदोपरांत संबंधित नगर पंचायतों को PFMS के माध्यम से राशि विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक-227, दिनांक-28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

4. कुल स्वीकृत राशि ₹9044.04896 लाख (नब्बे करोड़ चौवालीस लाख चार हजार आठ सौ छियानवे रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष-0001-वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायक अनुदान, विपत्र कोड-48-2217801930001 अंतर्गत विषय शीर्ष-0001.31.05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों का निर्माण मद से ₹4522.02448 लाख (पैंतालीस करोड़ बाईस लाख दो हजार चार सौ अड़तालीस रु०) एवं विषय शीर्ष-0001.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद से ₹4522.02448 लाख (पैंतालीस करोड़ बाईस लाख दो हजार चार सौ अड़तालीस रु०) की निकासी की जाएगी।

5. 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त राशि का व्यय विभागीय संकल्प संख्या-1844, दिनांक-13.05.2021 के आलोक में किया जायेगा।

6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में AC विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह अनुदान है, इसलिए राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता के नियम- 270 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 पर किया जायेगा, परन्तु राशि का व्यय संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जायेगा, इसलिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित नगर निकायों द्वारा उपलब्ध कराने पर महालेखाकार, बिहार को प्रेषित किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर, विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।
7. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”
8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- 2ब०/वि०आ०-10-02/2023 के पृ०- 106/टि० पर दिनांक- 06.02.2024 को प्राप्त है तथा सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति पृ०- 107/टि० पर दिनांक- 10.02.2024 को प्राप्त है।
10. इसकी सूचना संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर पंचायत/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/वि०आ०-10-02/2023 485 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-10/2/26

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर पंचायत/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, बिहार/वित्त विभाग (15वाँ वित्त आयोग कोषांग)/निदेशक, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ विभागीय लेखा शाखा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 06/विभागीय आई०टी०, प्रबंधक, को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।